...लय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 75 / 2025

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरीकिशन पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी केलवाद तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. अशोक पुत्र मदनलाल जाति वादी 2. दुर्गाराम पुत्र मदनलाल जाति वादी 3. नर्बदादेवी पत्नी सेसाराम जाति मेघवाल 4. पुनाराम पुत्र सुजाराम जाति वादी 5. रेखा पुत्री सुजाराम जाति वादी 6. रडमाल पुत्र सुजाराम जाति वादी 7. राजेन्द्र कुमार पुत्र सुजाराम 8. शान्तिदेवी पत्नी मदनलाल जाति वादी निवासीगण पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली राज0। 9. तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **श्री पवन सैन अधिवक्ता प्रति सं0 08 उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक — 18/11/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पिपलाद, प0ह0 केलवाद, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के खसरा नम्बर 29 / 804 रकबा 1.1500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 11.08.2025 को बाद सुनवाई प्रतिवादीगण सं0 01 से 07 के बावजूद सूचना / तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रति सं0 08 द्वारा सहमति जाहिर करने से वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक / राजस्व / 2025 / 1507 दिनांक 28.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

...नांक 15.10.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 15.10.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा पिपलाद, प0ह0 केलवाद, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के खसरा नम्बर 29/804 रकबा 1.1500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम केलवाद में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	हरिकिशन पुत्र मोहनलाल कौम मेघवाल सा. केलवाद खातेदार	29/804/1 29/804	0.0884 0.0319	बा.अ. बा.अ.	0.5304 0.1914
		02	0.1203	–	0.7218
2.	अशोक पुत्र मदनलाल 50/10297 दुर्गाराम पुत्र मदनलाल 50/10297 कौम वादी सा0 देह खातेदार नर्बदा देवी पत्नी सेसाराम 5599/10297 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार पूनाराम पुत्र सुजाराम 554/10297 रेखा पुत्री सुजाराम 1438/10297 रडमाल पुत्र सुजाराम 1438/10297 राजेन्द्र कुमार पुत्र सुजाराम 1118/10297 शान्तीदेवी पत्नी मदनलाल 50/10297 कौम वादी सा0 देह खातेदार	29/804/2	1.0297	बा.अ.	6.1782
		01	1.0297	–	6.1782

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पंर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरीकिशन पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी केलवाद तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. अशोक पुत्र मदनलाल जाति वादी 2. दुर्गाराम पुत्र मदनलाल जाति वादी 3. नर्बदादेवी पत्नी सेसाराम जाति मेघवाल 4. पुनाराम पुत्र सुजाराम जाति वादी 5. रेखा पुत्री सुजाराम जाति वादी 6. रडमाल पुत्र सुजाराम जाति वादी 7. राजेन्द्र कुमार पुत्र सुजाराम 8. शान्तिदेवी पत्नी मदनलाल जाति वादी निवासीगण पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली राज0। 9. तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वादः– 75 / 2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादी तथा श्री पवन सैन अधिवक्ता प्रति सं0 08 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा पिपलाद, प0ह0 केलवाद, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के खसरा नम्बर 29 / 804 रकबा 1.1500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम केलवाद में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	हरिकिशन पुत्र मोहनलाल कौम मेघवाल सा. केलवाद खातेदार	29 / 804 / 1 29 / 804	0.0884 0.0319	बा.अ. बा.अ.	0.5304 0.1914
		02	0.1203	–	0.7218
2.	अशोक पुत्र मदनलाल 50 / 10297 दुर्गाराम पुत्र मदनलाल 50 / 10297 कौम वादी सा0 देह खातेदार नर्बदा देवी पत्नी सेसाराम 5599 / 10297 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार पूनाराम पुत्र सुजाराम 554 / 10297 रेखा पुत्री सुजाराम 1438 / 10297 रडमाल पुत्र सुजाराम 1438 / 10297 राजेन्द्र कुमार पुत्र सुजाराम 1118 / 10297 शान्तीदेवी पत्नी मदनलाल 50 / 10297 कौम वादी सा0 देह खातेदार	29 / 804 / 2	1.0297	बा.अ.	6.1782

	01	1.0297	–	6.1782

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/12/2025 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक.	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.